कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांकः एफ16(परिपत्र) 2002/वसु/ प्रमुवसं/6899 दिनांक 12.7.2002

जैसा कि आपको विदित है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की जाती है। भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व भारत सरकार द्वारा कुछ शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की जाती है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित करने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति जारी की जाती है। खनन प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति के साथ अधिरोपित शर्तों में यह शर्त भी अधिरोपित की जाती है कि खनन हेतु प्रत्यावर्तित क्षेत्र के कानों पर 4 फीट ऊँचाई के सीमेन्ट कंक्रीट के पिलर खननकर्ता अपने खर्चे पर बनाएगा। उक्त शर्त की पालना में संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक द्वारा पालना रिपोर्ट प्रेषित किये जाने पर पालना रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित कर अंतिम स्वीकृति प्राप्त की जाती है। अंतिम स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में भारत सरकार के अधिकारियों के मोनीटरिंग के दौरान कुछ प्रकरणों में यह देखने में आया है कि कई जगह प्रत्यावर्तित क्षेत्र के कोनों पर नियमानुसार पिलर लगे हुए नहीं पाये गये जो कि भारत सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों का उल्लंघन है। अतः इस परिपत्र के माध्यम से समस्त मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को पुनः निर्देश प्रसारित किये जाते हैं कि प्रत्यावर्तन हेतु चाहे जाने वाले वन क्षेत्र के कोनों पर सीमेंट कंक्रीट के पिलर्स, जो कि जमीन की सतह से 4 फीट ऊपर निकले हुए हों, लगवाने के पश्चात् ही उक्त शर्त की पालना रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें। किसी प्रकार का उल्लंघन इस शर्त में पाये जाने से संबंधित अधिकारी / कर्मचारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जायेगी। संबंधित मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक को निम्न प्रपत्र में उक्त सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है :–

क्र.सं.	पिलर संख्या	पिलर का आकार	एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की दूरी	फोरवर्ड बियरिंग	बैकवर्ड बियरिंग

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त का सत्यापन मेरे द्वारा कर लिया गया है एवं उक्त सूचना सही पाई गई।

मण्डल वन अधिकारी/उप वन संरक्षक

भविष्य में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिरोपित शर्त की पालना उक्त प्रपत्र के अभाव में पूर्ण नहीं मानी जावेगी एवं इस कार्यालय द्वारा भारत सरकार को अग्रेषित नहीं की जावेगी।

हस्ताक्षर/
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान, जयपुर